राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनौर

निकट ईदगाह, दत्तियाना रोड, चान्दपुर–246725 जनपद बिजनौर ।

<u>निविदा–प्रपत्र</u>

निविदा प्राप्त एवं जमा करने की अन्तिम तिथि –
समय :– अपरान्ह 03:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि –
समय :– अपरान्ह 03:00 बजे

नवीनतम फोटोग्राफ

1. निविदाकर्ता एवं संस्था का नाम एवं पता....................................
....
....
....
....
मोबाइल न0..
2. निविदा प्रतिभाग शुल्क के लिए डी0डी0 नं0.............................दिनाँक...........................
धनराशि रू0 500.00 (रूपये पॉच सौ मात्र)
3. निविदादाता द्वारा निविदित प्रति माह का किराया रू0....................................
....(शब्दों में) (क्रमांक 1 से 3 तक की सूचना न भरने पर निविदा अवैध मानते हुए निरस्त कर दी जायेगी।)
4. न्यूनतम प्रति माह किराया रू0 5000.00 (रूपये पॉच हजार मात्र)।

<u>निविदा शर्तें</u>

1. संस्थान में स्थित कैंटीन को चलाने का आबंटन प्रति माह के किराये पर होगा। जिसका भी कुल किराया अधिकतम होगा उसी को संस्थान में कैंटीन का आवंटन अग्रिम 11 माह के लिए किया जायेगा। (जी0एस0टी0 अतिरिक्त यदि लागू हो)
2. संस्थान कैंटीन निविदा आबंटन उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर 05 माह का किराया धरोहर राशि के रूप में संस्थान में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त 06 माह का अग्रिम किराया भी आवंटन के समय देना होगा। 06 माह पूर्ण होने की दशा में अगले 05 माह की अग्रिम धनराशि जमा करानी होगी। अन्यथा की स्थिति में क्रमशः द्वितीय, तृतीय,................... निविदादाता को उपरोक्तानुसार समय प्रदान किया जायेगा। तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. फर्म का पैन नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर, फूड लाइसेन्स एवं ई0 एस0 आई0 प्रमाण पत्र यदि लागू हो की फोटो कापी संलग्न कराना आवश्यक है।
4. निविदाकर्ता पर कोई अदालती कार्यवाही न हो, पार्टी किसी बैंक द्वारा काली सूची में इंगित न हो व दिवालिया घोषित न की गयी हो।
5. कैंटीन के अन्दर व आसपास की साफ सफाई एवं रंगाई–पुताई/समस्त मेण्टीनेन्स व्यवस्था एवं आवश्यकतानुसार अस्थायी निर्माण कार्य ठेकेदार को अपने व्यय पर करनी होगी। उक्त कार्य हेतु संस्थान से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. संस्थान प्रशासन किसी भी समय पर कैंटीन में विक्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता आदि की जाँच कर सकता है। संस्थान प्रशासन की प्रतिकूल आख्या के आधार पर कभी भी कैंटीन ठेका निरस्त किया जा सकता है।
7. कैंटीन में अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों व छात्र/छात्राओं हेतु अलग–अलग बैठने के लिए फर्नीचर आदि की अच्छी व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर से करनी होगी।
8. कैंटीन ठेकेदार द्वारा विक्रय की जाने वाली समस्त सामग्रीं की रेट लिस्ट संस्थान प्रशासन से अनुमोदित करायी जानी आवश्यक है।
9. कैंटीन परिसर में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ रखना अथवा प्रयोग करना या करने देना पूर्णतः निषिद्व होगा। ऐसा पाये जाने पर कैंटीन का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए समस्त निविदा राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. निविदाकर्ता जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अपना 5 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र तथा चरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. कैंटीन में जो सामग्री विक्रय हेतु रखी जायेगी उसकी एक मूल्य सहित सूची कैंटीन के अन्दर तथा एक सूची कैंटीन के बाहर लगाना अनिवार्य हागा।
12. कैंटीन ठेकेदार किसी सरकारी संस्थान में कार्यरत न हो और न ही किसी राजनैतिक पार्टी से सम्बन्धित हो। इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं।
13. कैंटीन में कार्यरत सभी कर्मचारियों के आधार कार्ड की प्रति एवं कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार अनुशासन में कार्य करेंगे।
14. कैंटीन में किसी भी अराजक/अवांछनीय व्यक्तियों को बैठने देना प्रतिबन्धित होगा। ऐसे लोगो का पाये जाने पर ठेका आबटन निरस्त किया जा सकता हे।
15. संस्थान की कैंटीन संचालन का अनुबन्ध संस्थान प्रशासन एवं ठेकेदार के मध्य रू0 100/— के स्टॉम्प पेपर पर करना होगा। जो मात्र 11 माह के लिए ही मान्य होगा। भविष्य में सामानों की गुणवत्ता एवं कैंटीन संचालन के कार्य व्यवहार से संतुष्ट होने पर उक्त अवधि आगामी 11 माह पुरानी निविदा राशि पर 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर संस्थान के कोष में जमा करने पर बढ़ायी जा सकती है। उक्त अधिकार संस्थान प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
16. कैंटीन ठेकेदार को उसके द्वारा उपयोग की गयी विद्युत राशि का भुगतान निर्धारित दरों रू0 3000/—प्रतिमाह/मीटर के आधार पर संस्थान को प्रतिमाह की दर से कम से कम 2 माह के अग्रिम के रूप जमा करना अनिवार्य होगा।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में ''**निदेशक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनौर**'' द्वारा प्रकरण में दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
18. संस्थान द्वारा आवश्यकता पड़ने पर कार्य अवधि के अतिरिक्त भी कैंटीन का उपयोग सक्षम अधिकारी के निर्देश पर किया जा सकता है।
19. कैंटीन हेतु निविदा प्रपत्र डालना आवश्यक है।
20. निविदा को निरस्त करने का अधिकार ''**निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनौर**'' के पास सुरक्षित होगा।
21. किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला बिजनौर में ही होगा।
22. उपरोक्त के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में जारी समय—समय पर शासनादेश/निर्देश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

आवश्यक संलग्नक —

1. निविदाकर्ता का पैन नं0
2. निविदाकर्ता का आधार कार्ड
3. फर्म का पैन नं0
4. फर्म का जी0एस0टी0नं0
5. कैन्टीन चलाने के लिए फूड लाईसेन्स
6. निविदा शुल्क का डी0डी0
7. बिन्दु संख्या 4 व 12 के सापेक्ष नोटेरी अधिवक्ता से प्रमाणित शपथ पत्र
8. मा0 जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी 05 (पॉच) लाख का हैसियत प्रमाण पत्र।
9. मा0 जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र।

नोटः— वाँछित समस्त प्रपत्रों की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र टेण्डर फॉर्म फीस रू 500/—(रूपये पॉच सौ मात्र) वापिस नहीं की जायेगी । कार्यालय कार्य दिवसों में टेण्डर फार्म प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक स्थापना विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

कुलसचिव